भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 137

(जिसका उत्तर सोमवार, 3 फ़रवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को जीएसटी से छूट"

137. श्री मद्दीला गुरूमूर्ति:
क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने श्रद्धालुओं के हित में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को जीएसटी से छूट प्रदान की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और गत पांच वर्षों के दौरान कितना जीएसटी वसूला गया है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) और (ख): जीएसटी दरें और छूट जीएसटी परिषद, जो केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों से मिलकर बना एक संवैधानिक निकाय है, की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। जीएसटी से कुछ छूट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम सहित सभी धार्मिक संस्थाओं को उपलब्ध है, जैसे:-

(I) प्रसादम की आपूर्ति

(II) किसी धार्मिक समारोह का आयोजन;

(III) आम जनता के लिए आशयित धार्मिक स्थान के परिसर को किराए पर देना जिसका स्वामित्व या प्रबंधन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 कक के तहत धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत इकाई या आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (V) के तहत पंजीकृत कोई ट्रस्ट या संस्था या उक्त आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 खखक) के तहत कवर किए गए निकाय या प्राधिकरण के पास है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

क) ऐसे कमरों का किराया जहां प्रतिदिन किराया एक हजार रुपये से कम हो;
ख) परिसर, सामुदायिक हॉल, कल्याणमंडपम या खुले स्थान इत्यादि को किराए पर देना जहां प्रतिदिन शुल्क दस हजार रुपये से कम है;
ग) व्यापार या वाणिज्य के लिए दुकानों या अन्य स्थानों को किराए पर देना जहां शुल्क दस हजार रुपये प्रति माह से कम है।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (पैन एएएटीटी4126जी) से एकत्रित जीएसटी निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	**नकद रुप में भुगतान किया गया जीएसटी (करोड़ रु)**
2024-25 (31 दिसंबर 2024 तक)	36.28
2023-24	32.95
2022-23	32.15
2021-22	15.58
2020-21	14.70

स्रोत: जीएसटीएन

*****